उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का कार्यालय, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर

(राजस्व शाखा)

पत्रांकः– 1144 /रा0,

प्रेषक,

अपर उपायुक्त,
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर ।

सेवा में,

डी0जी0एम0 (जे0सी0पी0),
पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि0,
जमशेदपुर,

जमशेदपुर, दिनांक – 09 वीं जून 2015 ई0 ।

विषयः– गैर मजरूआ Deemed Forest (जंगल–झाड़ी, जंगल सखुआ, जंगल इत्यादी) भूमि के अपयोजन हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत करने के संबंध में।

प्रसंग – आपका पत्रांक– ER-1/JCP/JSR/Forest/1517, दिनांक– 13.05.2015

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में कहना है कि रामचन्द्रपुर–जादुगोड़ा एवं जादुगोड़ा–धालभूमगढ़ 132 के0भी0 विद्युत ट्रासंमिशन लाईन हेतु अनुमंडल पदाधिकारी, धालभूम, जमशेदपुर एवं अनुमंडल पदाधिकारी, घाटशिला से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के परिपत्र संख्या 1521/रा0, दिनांक– 8.6.2010 के आलोक में "गैर मजरूआ Deemed Forest (जंगल–झाड़ी, सखुआ जंगल इत्यादि) भूमि जो जमशेदपुर अंचलान्तर्गत कुल रकवा– 7.12 एकड़ एवं मुसाबनी अंचलान्तर्गत कुल रकवा– 1.552 एकड़ में सन्निहित है। भूमि का विवरण निम्न प्रकार हैः–

1. **रामचन्द्रपुर–जादुगोड़ा ट्रासंमिशन लाईन।**

क0सं0	अंचल का नाम	मौजा का नाम	थाना नं0	खाता नं0	प्लाट नं0	रकवा एकड़ में
1	जमशेदपुर	तालसा	1173	319	1352	0.12
2					1354	0.17
3					1355	2.34
4					1635	2.73
5		कुदादा	1180	153	79	0.56
6					79/1183	1.20
कुल						**7.12**

2. जादुगोड़ा–धालभूमगढ़ ट्रासंमिशन लाईन।

क0सं0	अंचल का नाम	मौजा का नाम	थाना नं0	खाता नं0	प्लाट नं0	रकवा एकड़ में
1	मुसाबनी	रोआम	91	229	54	0.418
2		चाकुलया	87	170	493	0.760
3					233	0.374
कुल						**1.552**

"उपरोक्त गैर मजरूआ Deemed Forest भूमि के अपयोजन हेतु जिला प्रशासन को कोई आपत्ति नहीं है, बशर्ते माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत भारत सरकार से पूर्वानुमति प्राप्त कर ली जाय। पूर्वानुमति प्राप्त होने के पश्चात् गैर मजरूआ (जंगल/जंगल–झाड़ी/सखुआ जंगल इत्यादी) के विधिवत् हस्तानांतरण हेतु प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा गैर मजरूआ भूमि की तरह प्रस्ताव समर्पित किया

जायगा। गैर मजरूआ भूमि की तरह ही इस भूमि के हस्तानांतरण/लीज हेतु राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा राज्यादेश निर्गत करने की कार्रवाई की जायगी"।

भारत सरकार से गैर मजरूआ जंगल, जंगल–झाड़ी, सखुआ जंगल इत्यादि भूमि के अपयोजन हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत अंतिम स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् प्रयोक्ता ऐजेंसी के अनुरोध पर गैर मजरूआ Deemed Forest भूमि के हस्तानांतरण हेतु अग्रतर कार्रवाई की जायगी।

सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

विश्वासिभाजन

09.VII.15

अपर उपायुक्त,
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।

JIA